सं. ए-41021/01/2021-प्रशा.-I
संघ लोक सेवा आयोग
(प्रशासन-I अनुभाग)
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली - 110069.

दिनांक : 04 दिसम्बर, 2023

परिपत्र

विषय :- संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में संविदा आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का परिनियोजन - तत्संबंधी।

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप सचिव अर्थात् स्तर-12 (वेतन बैंड-3 में संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन रू.7600/-) या समकक्ष या अवर सचिव अर्थात् स्तर-11 (वेतन बैंड-3 में संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन 6600/-) के ग्रेड से परामर्शदाता के रूप में परिनियोजन के लिए पैनल तैयार करने हेतु, भारत सरकार के किसी मंत्रालय / विभाग के ऐसे सरकारी कर्मचारियों, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या **30.11.2023 तक** सेवानिवृत्त हो जाएंगे, से निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :

पदों की संख्या	आयु सीमा	पात्रता	प्रतिमाह का पारिश्रमिक
06	अंतिम तिथि तक 64 वर्ष की आयु पूरी न की हो।	क) भारत सरकार के किसी मंत्रालय / विभाग से **उप सचिव या समकक्ष रैंक** अर्थात् 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (पे बैंड-3 में संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन-7600/-) के वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 **या अवर सचिव या समकक्ष रैंक** अर्थात् 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (वेतन बैंड-3 में संशोधन पूर्व ग्रेड वेतन -6600/-) के वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 **से सेवानिवृत्त होने चाहिएं।** **ख) भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग में उप सचिव/अवर सचिव स्तर पर सतर्कता / अनुशासनात्मक मामलों पर कार्रवाई करने का न्यूनतम दो साल का अनुभव होना चाहिए।** ग) कार्यालय के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में कंप्यूटर अनुप्रयोग का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। घ) अंतिम तिथि को 64 वर्ष की आयु पूरी नहीं होनी चाहिए।	-- सेवानिवृत्ति के समय आहरित मूल वेतन से पेंशन को घटाकर गणना की जाएगी। -- एनपीएस के साथ सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों हेतु, सेवानिवृत्ति के समय अंतिम आहरित वेतन के 30% के समकक्ष को अंतिम मूल वेतन में से घटाकर परिणामी राशि नियत मासिक पारिश्रमिक के रूप में देय होगी। -- परामर्शदाता, सेवानिवृत्ति के समय लागू दर पर परिवहन भत्ता पाने के भी हकदार होंगे।

...(जारी.)

पिछले पृष्ठ से :-

2. उपर्युक्त नियोजन की पात्रता, संदर्भ शर्तें आदि सहित विवरण आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.upsc.gov.in पर उपलब्ध है।

3. इच्छुक उम्मीदवार, जो पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद लिफाफे में जमा कर सकते हैं, जिस पर "संघ लोक सेवा आयोग में अनुबंध आधार पर परामर्शदाता-उप सचिव/अवर सचिव स्तर के रूप में परिनियोजन के लिए आवेदन" लिखा हुआ हो जो **अधिकतम दिनांक 31/12/2023 तक** निम्नलिखित पते पर पहुँच जाना चाहिए:-

अवर सचिव (प्रशा.),
कमरा सं. 11, ऐनेक्स बिल्डिंग (भूतल),
संघ लोक सेवा आयोग,
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली- 110069.

(शैलेश गौतम)
उप सचिव (प्रशा)
संघ लोक सेवा आयोग
दूरभाष सं. 23381665

प्रपत्र

संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में उप सचिव स्तर के परामर्शदाता के नियोजन हेतु आवेदन-पत्र

<table>
<tr><td>1</td><td>पूरा नाम (बड़े अक्षरो में)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>शैक्षिक योग्यता</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>3</td><td>जन्म तिथि</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>5</td><td>आधार संख्या एवं पैन संख्या
(प्रत्येक की छायाप्रति संलग्न करें)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>6</td><td>पीपीओ संख्या (छाया प्रति संलग्न करें)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>7</td><td>पूरा आवासीय पता,
दूरभाष संख्या/मोबाइल नं. सहित</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>8</td><td>अंतिम कार्यालय का पता
(सेवानिवृत्ति के समय)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>9</td><td>ई-मेल आईडी</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">पिछले पाँच वर्ष के दौरान सरकारी सेवा में अनुभव का संक्षेप विवरण, सेवानिवृत्ति से ठीक पहले।</td><td>धारित पद</td><td>से</td><td>तक</td><td>वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन/ वेतन मेट्रिक्स में लेवल</td><td>अनुभव क्षेत्र</td><td>अंतिम प्राप्त वेतन एवं मूल पेंशन</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>ओपीएस/एनपीएस के साथ सेवानिवृत्त</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>12</td><td>उक्त नियोजन के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त संगत सूचना, यदि कोई हो, यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें।</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। इसके अलावा मैं घोषणा करता हूँ कि अपनी सेवानिवृत्ति के समय मेरे विरुद्ध सतर्कता के दृष्टिकोण से कोई भी मामला नहीं था। मैंने इस दस्तावेज़ को पढ़ लिया है और परामर्शदाता के नियोजन हेतु सभी निबंधन और शर्तें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान :

<u>निबंधन एवं शर्तें</u>

1. <u>नियोजन की अवधि</u>

नियोजन प्रारंभ में *एक वर्ष* की अवधि के लिए होगा, जिसे कार्यालय की कार्यात्मक आवश्यकता या परामर्शदाता के कार्य निष्पादन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से बढ़ाया या कम किया जा सकता है।

2. <u>चयन प्रक्रिया</u>

नियोजन पूरी तरह संविदा आधारित होगा। इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों को आवेदकों के अनुभव एवं योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। परामर्शदाता शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से चुने जाएंगे।

संघ लोक सेवा आयोग के पास किसी भी आवेदन को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

3. <u>पारिश्रमिक</u>

एक निश्चित मासिक राशि देय होगी, जो सेवानिवृत्ति के समय आहरित वेतन से मूल पेंशन घटाकर निकाली जाएगी एवं एन पी एस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों हेतु, सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम मूल वेतन के 30% के समकक्ष राशि को अंतिम मूल वेतन से घटाया जाएगा एवं परिणामी राशि पारिश्रमिक के रूप में मासिक राशि निर्धारित की जाएगी। इस तरह निर्धारित की गई पारिश्रमिक राशि संविदा की अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी और संविदा अवधि के दौरान किसी भी वार्षिक वेतन वृद्धि / प्रतिशतता में वृद्धि नहीं की जाएगी। कोई भी डीए / एच आर ए, रिहायशी आवास देय नहीं होगा।

4. <u>परिवहन भत्ता</u>

निवास और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के प्रयोजन हेतु परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि की अनुमति दी जाएगी, जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति को लागू दर से अधिक नहीं होगी।

कार्यभार ग्रहण करने या इसके पूर्ण करने हेतु कोई भी टीए / डीए देय नहीं है। हालांकि, जब भी उन्हें आयोग के कार्य के संबंध में दिल्ली से बाहर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, तो परामर्शदाता, संघ लोक सेवा आयोग में समकक्ष स्तर के किसी भी सेवारत अधिकारी पर लागू सामान्य नियमों के अनुसार टीए / डीए प्राप्त करने के हकदार होंगे।

5. **कार्य क्षेत्र**

इस तरह के नियोजन की अवधि के दौरान, परामर्शदाता को आयोग की संबंधित शाखा जिसमें वे परामर्शदाता के रूप कार्य करने हेतु पदस्थापित किए जाएंगे, के शाखा प्रमुख द्वारा सौंपे गए कार्य को निष्पादित करना अपेक्षित होगा।

6. **अवकाश**

परामर्शदाता सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने हेतु 1.5 दिनों की दर से वैतनिक अवकाश हेतु हकदार होंगे। कैलेंडर वर्ष से परे अवकाश के संचयीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में, परामर्शदाताओं को छुट्टियों में या सामान्य कार्य घंटों से परे भी सेवा हेतु बुलाया जा सकता है जिसके लिए उन्हें कोई भी अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। हालांकि, शनिवार/रविवार/ अन्य राजपत्रित अवकाश पर कार्यालय आने के लिए उन्हें प्रतिपूरक अवकाश दिया जा सकता हैं।

7. **कार्यालय समय एवं कार्य घंटे**

परामर्शदाताओं का नियोजन पूर्णकालिक आधार पर होगा। कार्य दिवसों के दौरान कार्य का समय प्रातः 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक होगा, जिसमें बीच में आधे घंटे का भोजन अवकाश भी शामिल होगा। उन्हें संविदात्मक नियोजन की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवश्यकता होने पर, परामर्शदाताओं को शनिवार / रविवार / अन्य राजपत्रित छुट्टियों पर कार्यालय बुलाया जा सकता है। परामर्शदाता को बायो-मैट्रिक सिस्टम में या समय-समय पर निर्धारित किसी अन्य प्रणाली से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी अपेक्षित होगी।

8. **स्रोत पर कर कटौती**

आयकर या कोई अन्य कर, जो कटौती करने योग्य हो, प्रचलित नियमों के अनुसार, भुगतान करने से पहले स्रोत पर काटा जाएगा जिसके लिए कार्यालय टीडीएस प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

9. **डाटा एवं दस्तावेजों की गोपनीयता**

एकत्र किए गए डाटा के साथ-साथ कार्यालय के लिए प्रस्तुत डिलीवरेबल्स के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) इस कार्यालय के पास रहेंगे। कार्यालय की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना कोई भी इस कार्य के प्रयोजन के लिए कार्यालय के लिए कार्य के दौरान एकत्र किए गए डाटा या आंकड़ों या कार्यवाही या जानकारी के किसी भी हिस्से का उपयोग या प्रकाशन या खुलासा किसी भी तीसरे पक्ष से नहीं करेगा। परमर्शदाता संविदा की समाप्ति से पहले और कार्यालय द्वारा अंतिम भुगतान जारी होने से पहले कार्यालय को कार्य के रिकॉर्ड का पूरा सेट सौंपने के लिए बाध्य होगा।

10. <u>हितों का टकराव</u>

इस कार्यालय द्वारा नियुक्त परामर्शदाता किसी भी मामले में दूसरों को अभ्यावेदन या राय या सलाह किसी भी रूप में नहीं देगा जो कार्यालय के हित के प्रतिकूल हो। परामर्श अवधि के दौरान किसी भी परामर्शदाता को कोई अन्य कार्यभार लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. <u>सेवा की समाप्ति</u>

कार्यालय द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए 07 दिन का नोटिस देकर नियोजन समाप्त किया जा सकता है। यदि कोई परामर्शदाता अपना कार्यभार छोड़ना चाहता है, तो उसे 07 दिनों का नोटिस देना होगा, जिसे कार्यभार के आधार पर घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

>> यदि कोई परामर्शदाता किसी भी कारण से अयोग्य पाया जाता है या किसी अवज्ञा / कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।

12. सं.लो.से.आ. किसी भी ऐसी हानि, दुर्घटना, क्षति, चोट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा; जो परामर्शदाता को यात्रा सहित उसके कार्य के निष्पादन में हुई हो।

13. <u>आवेदन जमा करने हेतु दिशा-निर्देश</u>

निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरा हुआ गया आवेदन <u>31.12.2023 तक</u> कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। उपर्युक्त तारीख के पश्चात, प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों सहित जमा किया जाना चाहिए :-

क) सेवानिवृत्ति अधिसूचना की प्रति।
ख) पीपीओ की प्रति।
ग) अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र की प्रति।
घ) पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति-अनिवार्य रूप से।

Akul